February 15, 2025

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051

Symbol: JUBLCPL

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001

Scrip Code: 544355

Dear Sir/Madam,

Sub: Copy of Newspaper Publication-Un-Audited Financial Results

In furtherance to our intimation dated February 14, 2025 and pursuant to Regulation 30 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of newspaper advertisements published today i.e. February 15, 2025 in Mint (English) and Hindustan (Hindi) with respect to approval of Un-audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2024.

This is for information and records.

Thanking you,
For and on behalf of
Jubilant Agri and Consumer Products Limited
HARIOM PANDEY
Digitally signed by HARIOM PANDEY
Date: 2025.02.15 11:44:21 +05'30'
Hariom Pandey
Company Secretary

Encl: As above

Jubilant Agri and Consumer Products Limited
Plot. No. 142, Chimes, 3rd Floor, Sector 44,
Gurugram, Haryana - 122003, India
Tel: +91 124 2577229
www.jacpl.co.in

Regd. Office:
Bhartiagram, Gajraula
Distt. Amroha-244 223
UP, India
CIN: U52100UP2008PLC035862
investorsjacpl@jubl.com

‘Frivolous’: Sebi rejects Gaekwad’s bid for Religare

Neha Joshi
neha.joshi@livemint.com
MUMBAI

The Securities and Exchange Board of India (Sebi) on Friday dismissed an application from US-based investor Digvijay ‘Danny’ Gaekwad (Danny Gaekwad Developments and Investments) who sought permission to make a competing open offer for Religare Enterprises Ltd.

Gaekwad had aimed to acquire 55% of Religare’s outstanding share capital. MINT

Gaekwad had requested an exemption under the Substantial Acquisition of Shares and Takeovers (SAST) Regulations to propose an offer at ₹275 per share, aiming to acquire 55% of Religare’s outstanding share capital. His bid sought to surpass the Burman Group’s existing open offer, which was priced at ₹235 per share.

On 12 February, the Supreme Court permitted Gaekwad to deposit ₹600 crore in a Reserve Bank of India (RBI)-designated account by 2pm on 13 February to demonstrate his financial capability. However, he failed to meet the deadline.

Further, despite proposing a higher price than the Burman Group, Gaekwad had not secured necessary regulatory approvals from Sebi or the RBI, further casting doubt on the legitimacy of his bid.

“In the absence of adequate proof of financial resources, the application does not appear to be bona fide. It seems frivolous and aimed solely at hindering the open offer process,” Sebi stated in its order. Additionally, Sebi found that Gaekwad’s merchant banker, PL Capital Markets Pvt. Ltd, had conducted inadequate due diligence. During hearings, PL Capital representatives appeared unaware of Gaekwad’s financial credentials, raising further questions about the credibility of the application, according to Sebi.

The Burman Group, Religare, Gaekwad and PL Capital did not respond to *Mint*'s requests for comment.

A central issue in Sebi’s rejection was the timing of Gaekwad’s proposed offer. He argued the Burman Group’s open offer was publicly announced on 18 January. However, Sebi clarified that the actual announcement was made on 25 September 2023. Under regulations, any competing offer had to be launched within 15 working days of the detailed public statement, which was issued on 4 October 2023.

The Burmans’ open offer for Religare closed on Thursday, with the family taking its total holding in the firm to 25.44%

Meanwhile, the Burman Group open offer closed on Thursday, with the family acquiring an additional 0.26% stake, bringing its total holding in Religare to 25.44%.

For an extended version of this story, go to livemint.com.

HC overturns RIL arbitration award in $1.7 bn gas dispute

Verdict marks a significant victory for the Union government in the long-running legal battle

Krishna Yadav
krishna.yadav@livemint.com
NEW DELHI

In a setback for the Mukesh Ambani-led Reliance Industries Ltd (RIL), the Delhi High Court’s (HC) division bench on Friday overturned an international arbitration tribunal’s ruling that had previously favoured the company in its $1.7 billion dispute with Oil and Natural Gas Corp. Ltd (ONGC) over alleged gas migration from adjoining fields.

The bench, comprising justices Rekha Palli and Saurabh Banerjee, also set aside a May 2023 single bench ruling that had upheld the 2018 arbitration award rejecting the government’s claim.

The court, in its ruling, stated: “In view of the above, we are setting aside the impugned order dated 9 May 2023, passed by the learned single judge, and the arbitral award issued by the arbitral tribunal in 2018, as it is contrary to the settled position of law. All pending applications, if any, stand disposed of, with each party bearing its own costs.”

The latest verdict marks a significant victory for the Union government in its long-running legal battle with RIL over gas migration in the Krishna-Godavari (KG) basin—an issue that has been at the centre of India’s energy exploration and production landscape for over a decade.

The ruling clears the path for the government to enforce its claim of around $1.7 billion against RIL and its foreign partners, while the company now has the option to challenge the decision before the Supreme Court.

The roots of the dispute can be traced back to the 2000s. In April 2000, a consortium led by RIL signed a production-sharing contract (PSC) with the Union government, granting it the rights to explore and extract natural gas from the KG basin, located off the coast of Andhra Pradesh. The contract detailed the responsibilities, entitlements and revenue-sharing arrangements between the parties involved.

The Delhi HC ruling clears the path for the government to enforce its claim of around $1.7 billion against RIL and its foreign partners.

2000s
The period when the dispute arose with inking of a PSC

Between 2006 and 2007, RIL reportedly drilled four development wells and began commercial production on 1 April 2009. Its KG-D6 block is situated adjacent to ONGC’s Godavari Petroleum and Mining Lease (PML) and the KG-DWN-98/2 block. RIL holds a 60% stake in the KG-D6 block, with BP Plc owning 30% and Niko Resources holding the remaining 10%.

In July 2013, ONGC informed the Directorate General of Hydrocarbons (DGH) of evidence suggesting lateral continuity of gas pools between its fields and RIL’s block. While both companies initially agreed to appoint an independent consultant to investigate, ONGC filed a writ petition in the Delhi High Court on 15 May 2014, naming the government, the DGH and RIL in the case.

To investigate the gas migration, RIL and ONGC jointly appointed US-based consultant DeGolyer and MacNaughton (D&M). The firm’s report, submitted in November 2015, concluded that over ₹11,000 crore natural gas had migrated from ONGC’s idle fields to RIL’s KG-D6 block.

$1.5 bn
Part of oil ministry’s demand in November 2015

Following the report, the government set up a committee in December 2015, led by former Delhi HC chief justice A.P. Shah, to examine the issue of “unfair enrichment” and recommend compensation measures. The committee concluded that RIL should compensate the government for the gas extracted from ONGC’s fields over seven years.

In November 2015, the oil ministry issued a demand notice to RIL, BP and Niko seeking around $1.5 billion and an additional $174 million in interest.

RIL and its partners initiated arbitration proceedings in 2016. A three-member arbitration panel, led by Singapore-based arbitrator Lawrence Boo, delivered a 2:1 verdict in 2018, ruling in favour of the RIL-led consortium.

The panel concluded that the PSC did not prohibit extracting gas that migrated naturally, provided wells were drilled within the allotted boundaries. It also ordered the government to pay $8.3 million as arbitration costs.

Unhappy with the arbitration outcome, the government challenged the award in the HC, contending that it was against public policy. The government alleged that RIL had fraudulently extracted gas from ONGC’s fields without disclosure, despite being aware of the connectivity since 2003.

In May 2023, a single bench of the Delhi HC upheld the arbitration award, stating that RIL had operated within its contract area and paid the government its due share of profit petroleum. Justice Anup Bhambhani held that the tribunal’s award did not conflict with the “public policy of India” and that RIL had not violated the public trust doctrine. The court described the non-disclosure of the 2003 D&M report as a “technical breach” with no material impact on the PSC.

The government subsequently appealed to the division bench, which has now overturned the single bench ruling and set aside the arbitration award, culminating in Friday’s ruling.

Q4 export of goods to hit $124.8 bn: Exim Bank

Dhirendra Kumar
dhirendra.kumar@livemint.com
NEW DELHI

India’s merchandise exports are projected to reach $124.8 billion in the fiscal fourth quarter (Q4FY25), marking a 3.64% year-on-year increase, according to estimates from the Export-Import Bank of India. Non-oil exports are expected to climb 11.34% to $109.3 billion during the period, while non-oil and non-gems and jewellery exports are forecast to rise 10.1% to $98.5 billion. The positive momentum is likely to extend into the first quarter (April-June) of the next financial year, though trade policy uncertainty, geopolitical tensions, and global economic fragmentation pose risks.

For the full fiscal year, total merchandise exports are estimated at $446.5 billion, reflecting a modest 2.2% rise from FY24. Non-oil exports are projected at $382 billion, with non-oil and non-gems and jewelry exports reaching $350 billion.

India’s exports have yet to reclaim their FY23 peak of $443.72 billion, after slipping to $433.09 billion in FY24. The latest forecasts signal a recovery, underpinned by strong manufacturing output, agricultural resilience, and improving global demand, despite persistent headwinds.

Meanwhile, India’s merchandise trade deficit fell to a three-month low of $21.94 billion in December 2024, as higher exports offset import pressures. The shortfall had steadily widened in prior months, reaching $32.84 billion in November.

For an extended version of this story, go to Livemint.com.

VIJAY SOLVEX LIMITED

Corporate Identification Number: L15142RJ1987PLC004232
Regd. Office : Bhagwati Sadan, Swami Dayanand Marg, Alwar - 301001 (Raj.)
Phone No. 0144-2332358, Fax No. 0144-2332320
website: www.vijaysolvex.com , email id: cs_lodha@dataoils.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2024

(Rs. in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 31.12.2024 (Unaudited)	Nine Months ended 31.12.2024 (Unaudited)	Corresponding Quarter ended 31.12.2023 (Unaudited)
1	Revenue from operations	54419.27	135431.04	51317.50
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax ,Exceptional items and Share of Profit/(Loss) of Associates)	986.60	1,691.03	(618.87)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional items and Share of Profit/(Loss) of Associates)	997.61	1,808.48	(605.79)
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax, Exceptional items and Share of Profit/(Loss) of Associates	747.45	1,562.66	(581.69)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive income (after Tax)]	293.78	1,755.14	(552.58)
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	320.13	320.13	320.13
7	Other Equity excluding Revaluation Reserves (As per Audited Balance Sheet as at 31st March, 2024	-	31,788.41	
8	Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each) (not annualised) (in Rs.) a) Basic : b) Diluted :	 23.35 23.35	 48.81 48.81	 (18.17) (18.17)

Notes:
1 Additional information on Unaudited Standalone financial results is as follows:-

(Rs. in Lacs)

Particulars	Quarter ended 31.12.2024 (Unaudited)	Nine Months ended 31.12.2024 (Unaudited)	Corresponding Quarter ended 31-12-2023 (Unaudited)
Revenue from operations	54419.27	135431.04	51317.50
Profit Before tax	986.60	1,691.03	(618.87)
Profit after tax	736.44	1,445.21	(594.77)

2 The Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 14-02-2025.

3. The results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) (as amended time to time) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

4. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and Company's website (www.vijaysolvex.com).

For & on behalf of the Board
Vijay Solvex Limited
sd/-
(VIJAY DATA)
Managing Director
DIN : 00286492

Place : ALWAR
Dated : 14/02/2025

Jubilant Agri and Consumer Products Limited

JUBILANT Agri & Consumer Product
Regd. Office: Bhartiagram, Gajraula, Distt. Amroha-244 223, Uttar Pradesh, India
Corporate Office: Plot No.142, Chimes, 3rd Floor, Sector-44, Gurugram-122 003, Haryana, India
CIN - U52100UP2008PLC035862
Website: www.jacpl.co.in | **Phone:** +91-124-2577229 | **E-mail:** investorsjacpl@jubl.com

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31st December 2024 (₹ in Lakhs)

Sl No.	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		December 31, 2024	September 30, 2024	December 31, 2023	December 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Revenue from operations	39,752	40,708	29,251	1,16,274	95,294	1,25,326
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax and Exceptional items) from continuing operations	2,774	3,379	1,856	9,667	6,042	7,395
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items) from continuing operations	2,774	3,379	(2,805)	9,667	1,381	4,047
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax and Exceptional items from continuing operations	2,134	2,498	(2,082)	7,229	868	3,068
5.	Net Profit/(Loss) for the period from discontinued operations	-	(29)	(8)	(55)	(87)	(96)
6.	Net Profit/(Loss) for the period from continuing operations and discontinued operations	2,134	2,469	(2,090)	7,174	781	2,972
7.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,153	2,471	(2,089)	7,191	795	2,943
8.	Equity Share Capital	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507
9.	Reserves excluding Revaluation Reserve						22,021
10.	Earnings per share of ₹ 10 each from continuing operations (a) Basic (₹) (b) Diluted (₹)	 14.16 13.89	 16.58 16.20	 (13.81) (13.66)	 47.97 47.07	 5.77 5.71	 20.36 20.12
	Earnings per share of ₹ 10 each from discontinued operations (a) Basic (₹) (b) Diluted (₹)	 - -	 (0.19) (0.19)	 (0.06) (0.06)	 (0.36) (0.36)	 (0.58) (0.58)	 (0.64) (0.64)
	Earnings per share of ₹ 10 each from continuing operations and discontinued operations (a) Basic (₹) (b) Diluted (₹)	 14.16 13.89	 16.39 16.01	 (13.87) (13.72)	 47.61 46.71	 5.19 5.13	 19.72 19.48

Notes:
1. The Standalone Financial Results are available under Investors section of our website at www.jacpl.co.in and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com. Key Standalone Financial information of the Company is as under:

(₹ in Lakhs)

Sl No.	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		December 31, 2024	September 30, 2024	December 31, 2023	December 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Revenue from operations	39,409	40,211	28,680	1,15,010	93,513	1,22,607
2.	Profit/(Loss) for the period before tax fromcontinuing operations	2,793	3,426	(2,754)	9,836	1,837	3,684
3.	Net Profit/(Loss) for the period after tax from continuing operations	2,153	2,545	(2,031)	7,398	1,324	2,740
4.	Net Profit/(Loss) for the period from discontinued operations	-	(29)	(8)	(55)	(87)	(96)
5.	Net Profit/(Loss) for the period from continuing operations and discontinued operations	2,153	2,516	(2,039)	7,343	1,237	2,644

2. The above unaudited financial results were, subjected to limited reviewed by the Statutory Auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved and taken on records by the Board of Directors at its meeting held on 14th February, 2025.

3. The above is an extract of the detailed format of the unaudited consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2024, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited consolidated & standalone financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2024 alongwith review report of the Statutory Auditors is available under Investors section of our website at www.jacpl.co.in and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com.

for **Jubilant Agri and Consumer Products Limited**

Mohandeep Singh
CEO & Whole-time Director
DIN: 10661432

Place: Gurugram
Date : 14th February, 2025

बिल वसूली और बिलों के संशोधन में गड़बड़ी पर नाराज पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष ने दिए सख्त आदेश

लापरवाही पर पांच मुख्य अभियंताओं को चार्जशीट

कार्रवाई

लखनऊ, विशेष संवाददाता। बिजली बिलों की वसूली और गलत बिलों के संशोधन में लापरवाही पर पांच मुख्य अभियंताओं को आरोप पत्र देने और तीन को हटाने के आदेश पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने शुक्रवार को दिए हैं। मेरठ-2, आगरा, बांदा, कानपुर-2 और अलीगढ़ के मुख्य अभियंताओं को आरोप पत्र दिए गए हैं जबकि मिर्जापुर, बरेली-1 और मेरठ-1 के मुख्य अभियंताओं को हटाकर डिस्कॉम मुख्यालय से संबद्ध करने का फैसला लिया गया है।

इसके अलावा अयोध्या और सीतापुर के मुख्य अभियंताओं को ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्तता में बढ़ोतरी पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को सही बिल उपलब्ध करवाना और जितने की बिजली दी गई है, उतनी रकम वसूलना हमारी शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डॉ. गोयल ने प्रदेश के सभी डिस्कॉम के एमडी और निदेशक कॉमर्शियल व तकनीकी के साथ शुक्रवार को समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि बेहतर बिजली व्यवस्था के लिए जरूरी है कि जितने की बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही है, उतने के बिल वसूले जाएं। डॉ. गोयल ने राजस्व वसूली बढ़ाने के प्रयास तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन डिवीजनों में राजस्व वसूली की स्थिति खराब है, उन्हें चिह्नित कर स्थिति सुधारने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि ट्रांसफॉर्मरों के क्षतिग्रस्त होने में कमी आई है लेकिन इस दिशा में और भी काम किया जाना चाहिए।

सरकारी कार्यालयों और आवासों में स्मार्ट मीटर को दें प्राथमिकता : पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने में सरकारी कार्यालयों और आवासों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी रोकने के प्रयास तेज किए जाएं। अध्यक्ष ने कहा कि गर्मियों के मद्देनजर अनुरक्षण काम समय से करवाए जाएं। सुनिश्चित किया जाए कि गर्मियों में सभी को पर्याप्त बिजली मिले।

दो दर्जन समाज कल्याण अधिकारियों से जवाब तलब: सामूहिक विवाह योजना में लापरवाही पर दो दर्जन जिला समाज कल्याण अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बलिया और खीरी दो ऐसे जिले हैं, जहां एक भी आयोजन नहीं हुए। इसके अतिरिक्त बाकी जिले आवंटित लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे हैं।

इस साल 1000 मेगावॉट मांग बढ़ी, गर्मियों में संकट

लखनऊ, विशेष संवाददाता। दिन में बढ़ते पारे का असर बिजली की मांग पर दिखने लगा है। बीते साल फरवरी की अपेक्षा इस साल बिजली की मांग में एक हजार मेगावॉट का इजाफा देखा जा रहा है। जानकारों के मुताबिक इस बार गर्मियों में पिछली बार की पीक डिमांड का आंकड़ा पार हो जाएगा।

फरवरी में प्रदेश में बिजली की डिमांड 20,456 मेगावॉट पहुंच चुकी है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि जिस तरह से मांग बढ़ रही है, उसको देखते हुए पावर कॉरपोरेशन को निजीकरण के बजाय गर्मियों की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि 8 फरवरी को बिजली की डिमांड 20,456 मेगावॉट पहुंच गई है। बीते साल जून में बिजली की अधिकतम मांग 30,618 मेगावॉट थी। हालांकि जैसा मौसम अभी दिख रहा है, उससे मुताबिक इस साल बिजली की अधिकतम मांग 32,000 से 33,000 मेगावॉट तक जा सकती है। इसके इतर यूपी के पास अधिकतम 28,000 मेगावॉट का इंतजाम दिख रहा है। ऐसे में उपभोक्ताओं को बिजली की किल्लत झेलनी पड़ सकती है। लिहाजा पावर कॉरपोरेशन को इस दिशा में गंभीर होना चाहिए।

निजीकरण प्रक्रिया निरस्त करने की मांग

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर शुक्रवार को 79वें दिन भी बिजली कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के हित में निजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल निरस्त किया जाए। शैलेंद्र दुबे ने कहा कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण होने से कॉमन कैडर के मुख्य अभियंता स्तर -1 के 7 पद, मुख्य अभियंता स्तर -2 के 25 पद, अधीक्षण अभियंता के 109 पद, अधिशासी अभियंता के 362 पद, सहायक अभियंता के 1,016 पद, जूनियर इंजीनियर के 2,154 पद समाप्त हो जाएंगे।

हाथरस में कार नदी में गिरी, चार की मौत

हाथरस। हसायन क्षेत्र के जलेसर-सिकंदराराऊ मार्ग पर गांव बरसामई के पास गुरुवार देर रात एक कार्यक्रम से वापस लौट रहे कार सवारों के सामने अचानक नीलगाय आ गई। इससे कार अनयित्रंत होकर नदी में गिर गई। हादसे में डॉ. नागेन्द्र पाल सिंह राजपूत, चचेरे भाई मानवेंद्र की पत्नी पूनम, उनकी तीन साल की बेटी काव्या, चार वर्षीय भूमि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हो गए।

उरई में दूषित हुआ तालाब नपं पर 37 करोड़ जुर्माना

कदौरा (उरई)। तालाब का पानी प्रदूषित होने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कदौरा नगर पंचायत पर करीब 37 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे पहले एनजीटी ने 27 फरवरी 2020 को 1.82 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। संतोषजनक जवाब न मिलने पर 207820 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया गया है। तालाब का पानी प्रदूषित होने पर एनजीटी ने जब 2020 में पहली बार जुर्माना लगाया था।

शहर 30s

सिरफिरे की धमकी से छात्रा ने जान दी

आगरा। वेलेंटाइन वीक में सिरफिरे की धमकी से भयभीत एसएन मेडिकल कॉलेज की एक पैरा मेडिकल छात्रा ने गुरुवार को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मूलतः कौशांबी निवासी छात्रा आगरा में लोहामंडी क्षेत्र के किदवई पार्क इलाके में किराए पर रहती थी। वह सीटी स्कैन तकनीशियन का कोर्स कर रही थी। पिता ने अज्ञात युवक के खिलाफ लोहामंडी थाने में मुकदमा लिखाया है।

घर बुलाकर दोस्त को चाकुओं से गोदा

बिजनौर। चांदपुर क्षेत्र के गांव स्याऊ में सेवानिवृत्ति होमगार्ड और उसके पुत्र ने गुरुवार रात एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। आरोपियों ने शव अपने घर में बने भूसे के कमरे में ही दबा दिया और फरार हो गए। शुक्रवार दोपहर शव बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया। मृतक के भाई ने आरोपी होमगार्ड लेखराज, उसके पुत्र लवनीश उर्फ लवी और उसके साथ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।

आयकर विभाग का कर्मी रिश्वत लेते गिरफ्तार

लखनऊ। सीबीआई की लखनऊ टीम ने देवरिया में आयकर विभाग के कर्मचारी को ढाई हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी कर्मचारी अभय कुमार पीड़ित से पैन कार्ड में संशोधन के नाम पर रुपए मांग रहा था। पीड़ित ने काफी प्रयास किया लेकिन उसके पैन कार्ड में क्लर्क अभय कुमार ने संशोधन नहीं किया। उसने वहां के अफसरों से भी शिकायत की थी लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। इस पर पीड़ित ने सीबीआई के एसपी से शिकायत की थी।

अपर्णा ने बस्सी का शो निरस्त करवाने की मांग उठाई

लखनऊ। महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने शुक्रवार को स्टैंडअप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले शो को निरस्त करवाने की मांग की है। उन्होंने डीजीपी को लिखे पत्र में कहा है कि यू-ट्यूब पर देखने से पता चलता है कि बस्सी के शो में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणीयां होती हैं।

51 पीपीएस अफसरों को नई तैनाती मिली

लखनऊ। 51 नए पीपीएस अफसरों की ट्रेनिंग पूरी होने पर विभिन्न जिलों में उन्हें शुक्रवार को तैनाती दे दी गई। ये सभी सीधी भर्ती से प्रान्तीय पुलिस संवर्ग में आए थे। इस समय इनकी ट्रेनिंग चल रही थी। कुछ समय पहले इन अफसरों ने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी।

उपद्रवियों के पोस्टर लगाने पर विवाद, जुटी भीड़

संभल हिंसा

संभल,संवाददाता। हिंसा में शामिल उपद्रवियों के पोस्टर जामा मस्जिद की दीवार पर लगाने को लेकर मस्जिद कमेटी के सदर व उनके बेटे ने आपत्ति जताई। पुलिस ने उन्हें थाने बुला लिया। देर शाम शहर में अफवाह फैल गई कि मस्जिद कमेटी के सदर व उनके बेटे समेत कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर तमाम अधिवक्ता व मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर कोतवाली पहुंच गए। देर रात तक कोतवाली में वार्ता का दौर चला। उसके बाद पुलिस ने मस्जिद कमेटी के सदर व उनके बेटे व एक अन्य को पूछताछ करने के बाद भेज दिया।

24 नवंबर को हुई हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान कराने के लिए शुक्रवार शाम को पुलिस प्रशासन ने जामा मस्जिद की दीवार पर 74 उपद्रवियों के पोस्टर चस्पा किए। जिस पर मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट व उनके बेटे दानिश एडवोकेट समेत कुछ लोगों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पोस्टर मस्जिद की दीवार पर न चस्पा कर बांस-बल्लियां लगाकर उन पर लगाए जाएं। जिस पर पुलिस ने उन्हें वार्ता करने के लिए कोतवाली बुला लिया। देर शाम अफवाह फैली कि मस्जिद कमेटी के सदर समेत कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस पर तमाम लोग कोतवाली पहुंच गए।

शारिक की संपत्ति जब्त करने की तैयारी

संभल, संवाददाता। संभल हिंसा के मास्टर माइंड शारिक साठा की पत्नी को पुलिस ने अवैध संपत्ति के मामले में नोटिस तामील कराया है। पुलिस अब ये साक्ष्य जुटा रही है कि शारिक साठा ने जरायम की दुनिया से कितनी अवैध संपत्ति कमाई है। शारिक साठा अंतरराष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर गैंग चलाता है और फिलहाल दुबई में छिपा हुआ है। हिंसा में हथियार और पैसा मुहैया कराने के साथ ही उस पर भीड़ जुटाने का भी आरोप है। अवैध संपत्ति का पता लगाने के बाद उसे जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

दुबई में छिपे अंतरराष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर शारिक साठा को पुलिस संभल हिंसा का मास्टर माइंड बता रही है। पुलिस इस गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस का दावा है कि संभल हिंसा में विदेशी हथियार और पैसे के साथ ही भीड़ जुटाने का काम भी इसके गिरोह ने किया था। पुलिस ने मंगलवार को शारिक साठा की पत्नी रोशन उर्फ गुल्लो को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। पुलिस ने उससे जानकारी जुटाई थी कि शारिक से उसके अब कैसे संबंध हैं और अंतिम बार कब और कहां मुलाकात हुई। सूत्रों के अनुसार, सामने आया है कि रोशन पति से मिलने के लिए दुबई भी गई थी। पुलिस ने रोशन को नोटिस तामील कराया है और शारिक के नाम पर कितनी और कहां संपत्ति है, इसका पता लगाया जा रहा है।

पुलिस पर पथराव करने का आरोपी दबोचा

संभल। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दिन हिंदूपुरा खेड़ा में हुई हिंसा के दौरान पुलिस पर पथराव-फायरिंग और वाहनों में तोड़फोड़ कर आग लगाने में शामिल एक और उपद्रवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब तक पुलिस 77 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर चुकी है, अन्य उपद्रवियों को पकड़ने के प्रयास में पुलिस टीम जुटी हैं।
शाही जामा मस्जिद के दोबारा सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा में चार युवकों की मौत हुई थी। वहीं पुलिस और प्रशासनिक अफसरों समेत 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस हिंसा में शामिल 76 उपद्रवियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। शुक्रवार को नखासा थाना पुलिस ने हसनपुर मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास से नाजिर निवासी हिंदूपुरा खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि जामा मस्जिद पर हुई हिंसा के बाद अंजुमन चौराहे पर भीड़ इकट्ठा थी। वहां मौजूद सुबहान उर्फ मुन्ना निवासी सम्मन शहीद हिंदूपुरा खेड़ा और सुभान उर्फ टिल्लन मौजूद थे।

पूजा स्थल अधिनियम को बनाए रखने को याचिका

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 को बनाए रखने और इसे प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में उन्होंने कहा कि मस्जिदों या दरगाहों को निशाना बनाकर बार-बार अदालतों में मुकदमा दाखिल किया जा रहा है।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने शुक्रवार को संक्षिप्त सुनवाई के बाद सपा सांसद चौधरी की याचिका को सुनवाई के लिए इस मामले में पहले से लंबित अन्य याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया।

- सपा सांसद ने याचिका में संभल में हुई हिंसा का भी जिक्र किया
- अदालत ने पहले से लंबित अन्य याचिकाओं के साथ संलग्न किया

हालांकि मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने मौखिक रूप से कहा कि इसी मुद्दे पर बहुत सारी नई याचिकाएं क्यों दाखिल की जा रही है? हर हफ्ते हमें एक नई याचिकाएं मिल रही है। सपा नेता ने अपनी याचिका में संभल में हुई हिंसा का जिक्र किया है जो 16वीं सदी की एक मस्जिद के खिलाफ निचली अदालत द्वारा पारित सर्वेक्षण आदेश के बाद हुई थी।

गुन्नौर में प्रसव के बाद दो नवजातों और प्रसूता की मौत

संभल। कोतवाली क्षेत्र के कस्बा गुन्नौर में अवैध रूप से संचालित एक अस्पताल में शुक्रवार को डिलीवरी के दौरान जच्चा और उसके जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। हंगामा होते ही अस्पताल संचालक और कर्मचारी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शवों का पंचनामाभर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नोडल अधिकारी विरास यादव ने अवैध रूप से संचालित अस्पताल को सील कर दिया। कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र के कस्बा बबराला निवासी पूरननाथ की पत्नी पूजा को गुरुवार की शाम प्रसव पीड़ा हुई।

आजम पर 18 साल पहले दर्ज केस में एसआईटी गठित

जांच शुरू

रामपुर, वरिष्ठ संवाददाता। सीतापुर जेल में बंद सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां से जुड़ा 18 साल पुराना मामला फिर से खुल गया है। एक पापड़ फैक्टरी पर बुलडोजर चलवाने और रंगदारी मांगने के आरोप में आजम पर दर्ज मुकदमे में पुलिस दोबारा विवेचना करेगी। इसके लिए एसपी ने एसआईटी (विशेष जांच दल) गठित की है।

गंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सराय सहादत यार खां निवासी अफसर खां पुत्र अशरफ खां, जुल्फेकार खां और अनवर खां ने दस जुलाई 2007 को बसपा सरकार आने के बाद एसपी को पत्र देकर आरोप लगाया था कि यह मामला वर्ष 2006 का है। उस वक्त सपा नेता आजम खां नगर विकास मंत्री हुआ करते थे। उनके आदेश पर 19 जुलाई 2006 को अधिकारियों ने सैंजनी नानकार स्थित पापड़ फैक्टरी, सेलर और आटा चक्की पर जबरन बुलडोजर चला दिया और फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया था।

आजम-अब्दुल्ला ने दाखिल की जमानत अर्जी

रामपुर। धोखाधड़ी में सीतापुर जेल में बंद सपा नेता मोहम्मद आजम खां और हरदोई जेल में बंद उनके बेटे एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम ने रिकार्ड रूम में हेराफेरी के मामले में जमानत के लिए एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट की शरण ली है। दोनों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिस पर शनिवार को भी सुनवाई होगी।

कुछ माह पहले शत्रु संपत्ति को खुर्द बुर्द करने के आरोप से घिरे सपा नेता आजम खां व अब्दुल्ला आजम को रामपुर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी।

बिलासपुर में नदी में डूबने से तीन साल के मासूम की मौत

बिलासपुर। डकरा नदी में डूबने से एक तीन वर्षीय मासूम की मौत हो जाने पर परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने मासूम के शव को सपुर्दे खाक कर दिया है।

तहसील क्षेत्र के गांव महेशपुरा निवासी हनीफ अहमद दिल्ली स्थित निजी व्यवसाय के माध्यम से अपने परिवार का लालन पालन करता है। बीते गुरुवार शाम उसका करीब तीन वर्षीय पुत्र अरहम घर के दरवाजे पर खेल रहा था। इसी बीच खेल-खेल में वह गांवों के अन्य बच्चों के साथ गांव से सटकर बह रही डकरा नदी पर पहुंच गया। नदी पर पहुंचने के बाद मासूम पानी में घुस गया। इसी दौरान नदी का पानी उसे बहा ले गया और वह पानी में डूब गया।

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रवर मण्डल अभियंता/प्रथम द्वारा ई-टेन्डर जिनके बंद होने की तिथि प्रत्येक निविदा के सामने अंकित है। निम्न टेन्डर संख्या के अर्न्तगत आमंत्रित किये जाते है। जो उसी दिन 16:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। निविदा की कीमत तथा धरोहर राशि का भुगतान निविदादाता द्वारा केवल IREPS पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से आनलाइन भुगतान करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चैक, डिपाजिट रसीद आदि स्वीकार नहीं होगा। टेन्डर से संबंधित अन्य जानकारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें।

टेन्डर संख्या दिनांक	330-DRM-MB-24-25 Dt : 13.02.2025
कार्य का नाम	Protection of railway cess along track by providing geotubes, porcupines, stone boulder at Br. No 1248 under ADEN/RK
निविदा का प्रकार	Works
अनुमानित लागत	99,01,373.64
धरोहर राशि	1,98,000.00
टेन्डर क्लोसिंक दिनांक/समय	03.03.2025 16:00
बिडिंग स्टार्ट तिथि	17.02.2025
आफर की वैधता	60 दिन
कार्य पूर्ण करने की अवधि	02 माह

टेन्डर नं. 74-W/2/3/WA/Publication दिनांक : 14.02.2025 516/2025

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक
प्रवर्तक बैंक: पंजाब नैशनल बैंक
प्रधान कार्यालय : प्रथमा भवन, राम गंगा विहार, फेज-II, कांठ रोड, मुरादाबाद - 244001, उ.प्र.
क्षेत्रीय कार्यालय : संभल

कब्जा नोटिस (नियम 8 (1) के तहत अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन एंव प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन एक्ट 2002 (2002 का 54वां) के तहत प्रथमा यू0 पी0 ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणी को नीचे लिखी दिनांक को मांग पत्र जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था। ऋणी उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गया है। इसलिए एतदद्वारा ऋणी, सहअनुबन्धियों, बंधककर्ता एवं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 8 के सहपठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित दिनांक को ले लिया है। ऋणी को विशेष रूप से सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी देते हुये उन्हें उक्त सम्पत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन प्रथमा यू0 पी0 ग्रामीण बैंक के अधीन होगा। धारा 13 की उपधारा 8 में उपलब्ध समय के अनुसार ऋणी / सहअनुबंधी / बंधककर्ता का ध्यान बंधक सम्पत्ति को उन्मोचित किये जाने हेतू आमंत्रित किया जाता है। कब्जे वाली सम्पत्ति का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

ऋणी/सहअनुबन्धी/शाखा का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	
खाता सं. 8819IA47861997 (उधारकर्ता) मोहम्मद उमर पुत्र नन्हे खान, (गारंटर/बंधककर्ता) रजिया खानम पत्नी मोहम्मद उमर, (गारंटर) अमजद पुत्र रियासुद्दीन। शाखा- चंदौसी	एक आवासीय संपत्ति, क्षेत्रफल- 83.61 वर्ग मीटर, गांव अलहदादपुर चम्मू, तहसील चंदौसी, जिला संभल में स्थित है, जो बही नंबर 1, जिल्द नंबर 8846, पृष्ट संख्या 201/214, सीरियल नंबर 14061, दिनांक 08.10.2018 के माध्यम से रजिया खानम पत्नी मोहम्मद उमर निवासी मोहल्ला नखासा, तहसील चंदौसी, जिला संभल के नाम पर पंजीकृत है। सीमाएँः पूर्व- इमरान आदि का प्लॉट, पश्चिम- सड़क 6 मीटर चौड़ी, उत्तर- विक्रेता का प्लॉट, दक्षिण- प्लॉट अन्य	मांग सूचना दिनांक 15/07/2023 व बकाया राशी रू 3,79,142.00 + ब्याज व अन्य खर्चे कब्जे की दिनांक 09.02.2025

दिनांक-14.02.2025 स्थान- चंदौसी (संभल) प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक

आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय)
एनएएमएस भवन, मेडिकल एंकलेव, अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110029

नीट-एमडीईएस 2025

सूचना

आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा नीट-एमडीएस 2025 परीक्षा का आयोजन 19 अप्रैल 2025 को किया जाएगा।

कृपया नीट-एमडीएस 2025 के संबंध में विवरण के लिए एनबीईएमएस वेबसाइट https://natboard.edu.in/viewnbeexam?exam=neetmds पर सूचना बुलेटिन देखें।

ऑनलाइन आवेदन एनबीईएमएस वेबसाइट https://natboard.edu.in/viewnbeexam?exam=neetmds पर 18 फरवरी 2025 से 10 मार्च 2025 तक आमंत्रित किए जा रहे हैं।

उम्मीदवार सहायता केंद्र : +91-7996165333
- आवेदक लॉगिन पेज पर हेल्पलाइन पोर्टल
- एनबीईएमएस वेबसाइट पर संचार वेब पोर्टल

JUBILANT Agri & Consumer Product

जुबिलैंट एग्री एण्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : भारतीयग्राम, गजरौला, जिला अमरोहा-244 223 उत्तर प्रदेश, भारत
कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट सं. 142, चाइम्स, तीसरा तल, सेक्टर-44, गुरूग्राम-122 003, हरियाणा, भारत
| CIN - U52100UP2008PLC035862
वेबसाइट : www.jacpl.co.in | फोन : +91-124-2577229 | ई-मेल : investorsjacpl@jubl.com

31 दिसंबर, 2024 को तिमाही और नौमाही हेतु समेकित अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का निष्कर्ष (₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौमाही		समाप्त वार्षिक
		31 दिसंबर, 2024 (अनअंकेक्षित)	30 सितंबर, 2024 (अनअंकेक्षित)	31 दिसंबर, 2023 (अनअंकेक्षित)	31 दिसंबर, 2024 (अनअंकेक्षित)	31 दिसंबर, 2023 (अनअंकेक्षित)	31 मार्च, 2024 (अंकेक्षित)
1.	संचालनों से कुल आय	39,752	40,708	29,251	1,16,274	95,294	1,25,326
2.	जारी संचालनों से अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर एवं विशिष्ट मदों से पूर्व)	2,774	3,379	1,856	9,667	6,042	7,395
3.	जारी संचालनों से अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट मदों के पश्चात्)	2,774	3,379	(2,805)	9,667	1,381	4,047
4.	जारी संचालनों से अवधि हेतु कर एवं विशिष्ट मदों के पश्चात् शुद्ध लाभ/(हानि)	2,134	2,498	(2,082)	7,229	868	3,068
5.	बंद संचालनों से अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)	-	(29)	(8)	(55)	(87)	(96)
6.	जारी संचालन से एवं बंद संचालनों से अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)	2,134	2,469	(2,090)	7,174	781	2,972
7.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात्) एवं व्यापक आय (कर पश्चात्) शामिल कर के)	2,153	2,471	(2,089)	7,191	795	2,943
8.	इक्विटी शेयर पूँजी	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507
9.	पुनर्मूल्यांकन संचित के अतिरिक्त संचित						22,021
	जारी संचालनों हेतु प्रति शेयर आय ₹10/- प्रत्येक						
	(क) मूलभूत (₹)	14.16	16.58	(13.81)	47.97	5.77	20.36
	(ख) मिश्रित (₹)	13.89	16.20	(13.66)	47.07	5.71	20.12
	बंद संचालनों हेतु प्रति शेयर आय ₹10/- प्रत्येक						
	(क) मूलभूत (₹)	-	(0.19)	(0.06)	(0.36)	(0.58)	(0.64)
	(ख) मिश्रित (₹)	-	(0.19)	(0.06)	(0.36)	(0.58)	(0.64)
	जारी संचालनों एवं बंद संचालनों हेतु प्रति शेयर आय ₹10/- प्रत्येक						
	(क) मूलभूत (₹)	14.16	16.39	(13.87)	47.61	5.19	19.72
	(ख) मिश्रित (₹)	13.89	16.01	(13.72)	46.71	5.13	19.48

टिप्पणियाँ :
1. एकल वित्तीय परिणाम हमारी वेबसाइट www.jacpl.co.in पर के निवेशक अनुभाग के अंतर्गत एवं www.nseindia.com तथा www.bseindia.com के कॉर्पोरेट अनुभाग में वित्तीय परिणामों के अंतर्गत उपलब्ध हैं। कंपनी की प्रमुख एकल वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है। (₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौमाही		समाप्त वार्षिक
		31 दिसंबर, 2024 (अनअंकेक्षित)	30 सितंबर, 2024 (अनअंकेक्षित)	31 दिसंबर, 2023 (अनअंकेक्षित)	31 दिसंबर, 2024 (अनअंकेक्षित)	31 दिसंबर, 2023 (अनअंकेक्षित)	31 मार्च, 2024 (अंकेक्षित)
1.	संचालनों से कुल आय	39,409	40,211	28,680	1,15,010	93,513	1,22,607
2.	जारी संचालनों से अवधि हेतु कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	2,793	3,426	(2,754)	9,836	1,837	3,684
3.	जारी संचालनों से अवधि हेतु कर पश्चात् शुद्ध लाभ/(हानि)	2,153	2,545	(2,031)	7,398	1,324	2,740
4.	बंद संचालनों से अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)	-	(29)	(8)	(55)	(87)	(96)
5.	जारी संचालनों एवं बंद संचालनों से अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)	2,153	2,516	(2,039)	7,343	1,237	2,644

2. उपरोक्त अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम, कंपनी के वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के विषय-स्वरूप थे, अंकेक्षण समिति द्वारा समीक्षित किए गए एवं 14 फरवरी, 2025 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एवं अभिलिखित किए गए।
3. उपरोक्त सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमों, 2015 विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दाखिल किए गए 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही एवं नौ माही हेतु अनअंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण हैं। 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही एवं नौ माही हेतु अनअंकेक्षित समेकित एवं एकल वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप, वैधानिक अंकेक्षकों की समीक्षा रिपोर्ट सहित, हमारी वेबसाइट www.jacpl.co.in पर निवेशक अनुभाग तथा www.nseindia.com एवं www.bseindia.com के कॉर्पोरेट अनुभाग में वित्तीय परिणाम के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 14 फरवरी, 2025

कृते जुबिलैंट एग्री एण्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड
मोहनदीप सिंह
सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएन : 10661432